भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2401
दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केंद्रीय स्वायत्त चिकित्सा संस्थानों द्वारा किया गया व्यय

†2401. श्री अमर शरदराव कालेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान वर्ष सहित विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान यात्रा भत्ता (टीए), महंगाई भत्ते (डीए), मानदेय और अन्य संबद्ध लागतों सहित स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठकों और शासी निकाय की बैठकों में विभिन्न एम्स, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, जेआईपीएमईआर, एनआईएमएचएएनएस, आरआईएमएस, एनईआईजीआरआईएचएमएस, सीएनसीआई आदि सहित विभिन्न स्वायत्त चिकित्सा संस्थानों द्वारा किए गए व्यय का संस्थान-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का संस्थान-विशिष्ट स्थायी वित्त समितियों और शासी निकायों का विलय करके एक एकल या केन्द्रीकृत तंत्र बनाने का विचार है ताकि प्रशासनिक और आवर्ती लागतों को कम किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस) और पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (नीग्रिम्स) के शासी निकाय (जीबी) और स्थायी समिति (एसएफसी) का गठन और उनकी बैठकें संबंधित अधिनियमों/नियमों/विनियमों/संगम ज्ञापन/उपनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाती हैं, जिनके तहत इन संस्थानों की स्थापना की गई है। उपरोक्त बैठकों के संचालन के लिए प्रत्येक संस्थान द्वारा किया गया व्यय बैठक की आवृत्ति, स्थान, सदस्यों की उपस्थिति आदि पर निर्भर करता है। शासी निकाय (जीबी) और स्थायी समिति (एसएफसी) के सदस्य यात्रा और दैनिक भत्ते जिसके लिए वे पात्र हैं, के अलावा किसी अन्य भत्ते या पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं। संस्थान-विशिष्ट शासी निकायों और स्थायी समितियों को एक ही निकाय में विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****